ग्रामीण कायाकल्प की ओर

.....पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के लिये खेती पर टिप्पणी

प्रसंग

रसायनों, कीटनाशकों सहित बाहरी संसाधनों पर सघन रूप से आधारित खेती का मौजूदा प्रतिमान जो अधिक उत्पादन और समृद्धि केन्द्रित है ने स्पष्ट तौर पर भारत को नाकाम कर दिया है। जहां तक ग्रामीण भारत और उसकी आजीविका का संबंध है इस मॉडल ने दर्शा दिया है कि अधिक उगाओ और बरबाद हो जाओ । खेती के वाणिज्यिकरण और निगमीकरण पर टिके इस मॉडल ने दिखा दिया है कि वह निरंतर या टिकाऊ नहीं है। पंजाब इसका उदाहरण है (यहां पैदावार केन्द्रित सघन व्यवस्था अपनाए जाने को देखते हुए) जहां अधिक और अधिक पैदावार का पीछा करते रहने के कई दशकों बाद एक किसान परिवार की औसत मासिक आय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के किसान रिपोर्ट (जुलाई 2005) के स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार 4960/– रुपये तक ही पहुंची है (जो कि पूरे परिवार के लिये रुपये 165/– प्रति दिन आय है वह भी सभी स्रोतों को मिलाकर) । वहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रति कर्जदार किसान परिवार औसत बकाया ऋण जहां रु. 25895/– था तो पंजाब में यह रु. 63529/– था। किसी भी कीमत पर अधिक उगाओ व्यवस्था में लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों में पंजाब का पानी कम और प्रदूषित होता गया तथा जमीन भी व्यापक स्तर पर अनुपजाऊ होती गई। राष्ट्रीय स्तर पर किसान परिवार की औसत मासिक आय (रु. 2115/–) खर्च (रु. 2700/–) की तुलना में कम है जिससे ऐसे परिवार गरीबी के कठिन दुष्चक्र में फंसते चले गये हैं। किसान और खेतिहर मजदूर अपने पेशे और सामाजिक स्थिति में किसी तरह की गरिमा महसूस नहीं करते जैसा कि

सरकारी सर्वेक्षणों में दिखाया गया है और वे यह बात हर उस मंच पर बार–बार रखते रहे हैं जहां उन्हें सुना जा सकता है। महिलाओं और बटाईदार किसानों की स्थिति तो और भी बदतर और जोखिम भरी है।

इस व्यवस्था का प्रभाव ग्रामीण कर्जग्रस्तता और आत्महत्याओं, कुपोषण व भूख एवं खेती छोड़ने तथा काम की तलाश में पलायन के कारण शहरी बुनियादी ढांचे पर पड़ रहे बोझ में दिखाई देता है। जब भूख और कुपोषण की बात आती है तो सबसे ज्यादा इसके आंकड़े ग्रामीण भारत में ही मिलते हैं जो कि क्रूर मजाक है कि खाद्य उत्पादन प्रक्रिया में शामिल है।

सघन खेती ने खेती के आधार मिट्टी, पानी, जैव विविधता और जलवायु को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। अधिक रासायनिक आदान की खेती ने हमारी मिट्टी (25 प्रतिशत जमीन क्षारीय और जलीय हो गई है) को नष्ट कर दिया है, पानी और खेतों को जहरीला कर दिया है, खेती को गेर टिकाऊ बना दिया है तथा देश के विभिन्न हिस्सों में गंभीर प्र्यावरणीय स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर दी हैं। इस बात में किसी तरह का जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि खेती से जीवनयापन तभी सतत बना रह सकता है जब मिट्टी, पानी, जैव विविधिता और संबद्ध ज्ञान का संरक्षण किया जाये। हमारी 65 प्रतिशत खेती वर्षा आधारित है तो कि अब जलवायु परिवर्तन के अतिरिक्त जोखिम का भी सामना करने लगी है।

उपभोक्ताओं के लिये वर्तमान मॉडल ने केवल लगातार अधिक और अधिक गैर पोषण और जहरयुक्त खाद्य मुहैया कराया है जिसके साथ कैंसर , किडनी और उर्वरता की समस्याओं , मधुमेह, मोटापा और दिल की बीमारियों के बढ़ते मामले सामने आये हैं।

सूक्ष्म आंकड़े जमीन और बीज जैसे संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण में अनियंत्रित और गैर अधिनियमित परिवर्तन की ओर भी इशारा करते हैं।

ज्यादातर ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों का संक्षिप्त भ्रमण भी जमीन उपयोग और जमीन स्वामित्व में व्यापक बदलाव को दिखाता है जो कि हो सकता है कि सूक्ष्म आंकड़ों में वास्तविक तौर पर परिलक्षित नहीं हो सका हो। यह कहने में भी जोर देने की जरूरत नहीं है कि अगर यह संसाधन सीधे किसानों के नियंत्रण में न हों तो किसानों और खेतिहर मजदूरों की स्थिति और हालत सुधारी नहीं जा सकती। अगर जमीन, बीज, वन और पानी किसान समुदाय से छीन लिया जाये तो उनकी व्यावहारिक साथ ही रणनीतिक जरूरतें (जीवनयापन तथा समाज में वर्ग समानता के लिये) पूरी नहीं की जा सकती।

सच्चाई यह है कि भारत अब भी खेती प्रधान देश है जहां 60 प्रतिशत से ज्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं। लाखों किसानों से यह उम्मीद करना एक मिथक होगा कि वे खेती छोड़कर दूसरे कामों की तलाश करें– आर्थिक विकास के तमाम शोरगुल के बाद भी संगठित क्षेत्र आबादी के 9 प्रतिशत लोगों को ही काम दे पाया है और पिछले 20 साल में उद्योग ढाई करोड़ नौकरियां ही सृजित कर सके हैं जो कि कार्यशील आबादी का चार प्रतिशत ही है। वहीं सकल घरेलू उत्पाद नीत आर्थिक व्यवस्था में खेती को एक क्षेत्र के तौर पर बहुत कम समर्थन और प्रासंगिकता मिलना जारी है। जबकि भारत के 9 प्रतिशत विकास दर के अधिक विकास के काल में भी कार्यशील आबादी में शामिल होने वाले साढ़े पांच करोड़ लोगों में से इसने केवल 20 लाख नये रोजगार सृजित किये। जो यह बताता है कि विभिन्न क्षेत्रों में यह रोजगारहीन विकास था। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकतर कामगारों के लिए खेती ही मुख्य आधार है। खासतौर पर महिलाओं के मामले में।

खेती के संकट का टिकाऊ और समग्र समाधान तलाशने की बजाय सरकारें तुरत फुरत वाले तकनीकी जोड़ तोड़ के साथ उद्योग हितैषी नीति अपनाती रही हैं। इनमें से एक सबसे विवादित है जैविक परिवर्धित (जीएम)

बीज । पारजैविक प्रौद्योगिकी संदिग्ध, गैर उत्क्रमणीय, अनियंत्रित है जिसके भविष्य के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य , पर्यावरण और बीजों के राष्ट्रीय स्वावलम्बन से जुड़े जोखिमों को देखते हुए अधिकतर देशों ने जीएम फसलों को नकार दिया है या कड़े नियमन के तहत रखा है। लेकिन भारत में ऐसा देखा जा रहा है कि सरकारें इन्हें खेती की कई समस्याओं के हल के तौर पर देख रही हैं जो समस्याओं को खत्म करने की बजाय खेती को महंगा और खतरनाक बना रहा है।

एक अधिक प्रभावी नया रास्ता पारिस्थितिकी कृषि का है जिसका खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों द्वारा किये गये इंटरनेशनल असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट (आईएएएसटीडी) जैसे कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अग्रणी अध्ययनों में सर्वश्रेष्ठ तरीके के रूप में दस्तावेजीकरण किया गया है। देशभर में किये गये शीर्ष कार्यों ने भी यह दर्शाया है कि पर्यावरण और आर्थिक तौर पर टिकाऊ खेती जो सामाजिक तौर पर भी समान हो संभव और लाभप्रद है। यह उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिये फायदे वाली है। पर्यावरणीय तौर पर टिकाऊ खेती में कृषि रसायन , जीएम या खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर कंपनियों के नियंत्रण के लिये कोई स्थान नहीं है।

किसान स्वराज के लिये आशा का मांग पत्र

आशा का मानना है कि हम सब को जीवित रखने के लिये हमारे अन्नदाताओं के प्रति देश के नैतिक दायित्व के निर्वाह, विभिन्न विकास लक्ष्यों के प्रति बाध्यता को पूरा करने, खाद्य संप्रभुता के महत्वपूर्ण कार्य को सुनिश्चित करने, ग्रामीण समाज में विद्रोह और हमारे शहरों में गिरावट को रोकने, एवं सभी भारतीयों के लिये सरक्षित, पोषक, विविधतापूर्ण और पर्याप्त खाद्य मुहैया कराने के लिये निम्नांकित नीति निर्देश सुनिश्चित करने चाहिये। देश को खाद्यान्न संप्रभुता और किसानों को सम्मानजनक

जीवनयापन देने वाली टिकाऊ उत्पादक खेती का घोषणापत्र चार स्तंभों पर टिका है जो इस तरह हैं –

1. सभी किसान परिवारों की आय सुरक्षा ताकि उत्पादक अपने पेशे को व्यवहारिक और सम्मानजनक पायें और परेशान होकर खेती छोड़ने को मजबूर न हों,
2. उत्पादक प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिये पर्यावरणीय टिकाऊ खेती पद्धति ताकि जीवनयापन सतत बना रहे,
3. जमीन, पानी , जंगल, बीज और ज्ञान जैसे संसाधनों पर लोगों का नियंत्रण जो कि व्यवहारिक और टिकाऊ जीवनयापन का सूत्र है,
4. सभी भारतीयों के लिये गैर रासायनिक या बिना जहर वाला विविधतापूर्ण, पोषक और पर्याप्त खाद्य

1. सभी किसान परिवारों के लिये आय सुरक्षा, न्यूनतम जीवनयापन आय सुनिश्चित करना

सतत कृषि आय और उत्पादकों तथा खेतिहर श्रमिकों का कल्याण प्रमुख मानदंड होगा जिससे कृषि और ग्रामीण मंत्रालय को जवाबदेह बनाया जाये। यह खेती को तकनीकी विषय से जीवनयापन के विषय के तौर पर देखने के लिये मौलिक बदलाव होगा।

1.1 किसान आय आयोग जो वार्षिक आकलन और केन्द्रित अनुशंसाओं के द्वारा सभी किसान परिवारों को न्यनतम जीवन यापन आय सुनिश्चित करे व निगरानी करे। सभी फसलों के

समय पर उपार्जन एवं उनके लिये लाभप्रद मूल्य, सामाजिक न्यूनतम जीवनयापन आय तथा सभी कृषक परिवारों खासतौर छोटे, बटाईदार किसान और कृषि मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे जिससे सभी किसान परिवारों को न्यूनतम सम्मानजनक जीवनयापन हासिल हो। वर्तमान समर्थन मूल्य प्रणाली का पुनर्गठन होना चाहिये जिसमें किसान द्वारा खर्च की गयी कीमत का सही आकलन हो, उसकी लागत से तार्किक अतिरिक्त राशि एवं जीवनयापन की लागत उसे मिले। साथ ही उपार्जन प्रभावी हो और उसका विस्तार किया जाये।

1.2 पर्याप्त बीमा और मुआवजा तंत्र जो आपदा राहत प्रदान कर सके और जोखिम समाप्त करे।

1.3 कम लागत और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया जाये बजाय कि अधिक रसायन, अधिक पानी , अधिक ऊर्जा वाली कृषि प्रणाली के जो अधिक कर्ज और जोखिम की ओर ले जाती है।

1.4 मूल्य क्षतिपूर्ति या अपूर्ण मूल्य भुगतान प्रणाली जिससे यह सुनिश्चित किया जाये कि किसान जिस पात्र लाभप्रद मूल्य का हकदार है उससे कम मूल्य मिलने पर अंतर की राशि का उसे भुगतान किया जाये।

1.5 किसान संगठनों तथा संस्थाओं के माध्यम से भंडारण, उपार्जन, प्रसंस्करण और विपणन के लिये ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रित कृषि अधोसंरचना को प्रोत्साहन मिले। इसके साथ ही सभी उत्पादकों का समूहिकीकरण किया जाना चाहिये जिससे वे उत्पादन और विपणन दोनों का लाभ उठा सकें।

1.6 कृषि जिंसों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल तभी हो जब किसी भी बहुपक्षीय या द्विपक्षीय वार्ता में भारत कृषि जीवनयापन सुरक्षा को संप्रभु और गैर वार्ता अधीन प्राथमिक नीति बना लेता है। चाहे वह विश्व व्यापार संगठन या एफटीए हो। हमें व्यापार अनुबंधों में तभी शामिल होना चाहिये जब समान स्तर हो वह भी घरेलू हिस्सेदारों से बातचीत करने के बाद।

2. पर्यावरणीय टिकाऊ खेती पद्धति ताकि व्यवहारिक कृषि जीवनयापन बना रहे

2.1 भारतीय कृषि को पर्यावरणीय टिकाऊ मॉडल में बदलना – प्रतिवर्ष दस प्रतिशत खेती की जमीन की दर से। यह वर्षा वाले क्षेत्रों से आरंभ होना चाहिये जहां प्रमाण यह दर्शाते हैं कि जानकारीपूर्ण और प्रभावी विस्तार व्यवस्था के उपयुक्त समर्थन से पारिस्थितिकी/जैविक खेती की विधियां पैदावार वृद्धि और शुद्ध आय बढ़ा सकती हैं।

2.2 यह सुनिश्चित करना कि कृषि अनुसंधान किसान सशक्तिकरण आधारित हो और अनुसंधान के लिये फंडिंग का 50 प्रतिशत कम लागत और पर्यावरणीय कृषि के लिये हो। इस अनुसंधान का आकलन परंपरागत लागत–लाभ विश्लेषण के अलावा पारिस्थितिकी निरंतरता सूचकांक से भी होना चाहिये। अनुसंधान किसानों की जरूरत से प्रेरित होना चाहिये न कि कार्पोरेट एजेंडा से चलने चाहिये और इसलिये सहभागिता अनुसंधान का नजरिया अपनाया जाना चाहिये।

2.3 खेतों पर प्रयोग और वाणिज्यिक कृषि सहित जीएम फसलों को खुले तौर पर जारी करने की सभी प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध की घोषणा जैसी कि अनुशंसा सर्वोच्च न्यायालय की तकनीकी विशेषज्ञ समिति और संसद की कृषि संबंधी स्थायी समिति ने की है।

2.4 कृषि में रसायनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली योजनाओं एवं अनुदानों को समाप्त करना एवं सभी कृषि रसायनों को धीरे–धीरे समाप्त करना । पहले कदम के तौर पर दूसरे देशों में प्रतिबंधित कीटनाशकों पर तुरंत प्रतिबंध हो। विविधिता आधारित फसल पद्धति सहित पारिस्थितिकी विधियों को प्रोत्साहित करना जो प्रभावी ढंग से कीटों और जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन कर सके।

2.5 किसानों को उपयुक्त विस्तार और अन्य समर्थन खास तौर पर विपणन सहायता सुनिश्चित कर पारिस्थितिकी कृषि को प्रोत्साहित करना । जैविक किसानों द्वारा दी गयी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये विशेष बोनस देना। कृषि पारिस्थितिकी में व्यापक स्तर का प्रशिक्षण , किसान प्रयोग विद्यालय , व्यापक स्तर के अभियान और स्थानीय भाषाओं में ज्ञान का वितरण का अलग तंत्र बनाया जाना चाहिये।

2.6 **बारानी खेती और सूखा अनुकूलन के प्रति अलग एवं उपयुक्त प्रबंधन।**

खेती को पर्यावरणीय टिकाऊ बनाने की उपरोक्त मांगों की पैरवी करते हुए आशा पर्यावरणीय खेती और इसे जुड़े छोटे किसानों के बीच सहजीवी संबंधों पर जोर देना चाहती है। दोनों को अपने अस्तित्व और बढ़ते रहने के लिये एक दूसरे की आवश्यकता है।

3. कृषि संसाधनों पर लोगों का नियंत्रण

3.1 बीजों पर बौद्धिक संपदा अधिकार एवं कंपनी नियंत्रण की अनुमति नहीं देनी चाहिये। खुले स्रोत की बीज पद्धतियों और किसान हितैषी बीज कानून को प्रोत्साहित किया जाये। सभी एनबीपीजीआर पासपोर्ट सूचना को पूर्ववर्ती की तरह मानकर जैविक चोरी (बायो पाइरेसी) को रोकना। बीज सार्वभौकिमता सतत खेती जीवनयापन का अटूट हिस्सा है। बीज विधेयक को संशोधित कर उसे किसान हितैषी और किसानों के प्रति जवाबदेह बनाना होगा।

3.2 किसानों , बटाईदार किसानों और महिला किसानों के भूमि हकों के संरक्षण के लिये व्यापक स्वामित्व एवं उपयोगिता जमीन नीति बनाना। कृषि भूमि के गैर कृषि इस्तेमाल के लिये अधिग्रहण और डायवर्सन को रोका जाये।

3.3 जलस्रोतों का निजीकरण रोका जाये। जीवन रक्षक आपात सिंचाई व्यवस्था संपूर्ण कृषि भूमि के लिये उपलबध हो।

3.4 वानिकी में सामुदायिक स्वामित्व और इस मूल्यवान संसाधन पर शासन को मान्यता दी जाये। पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार) और वन अधिकार कानून को उनकी भावना के अनुसार अमल किया जाये जिससे वन और उनपर निर्भर समुदायों के सामाजिक –सांस्कृतिक एवं जीवनयापन सहसंबंध कायम हो सकें।

4. सभी भारतीयों के लिये गैर रसायनयुक्त या बिना जहर वाला , विधितापूर्ण, पोषक एवं पर्याप्त खाद्यान्न सुनिश्चित करना

4.1 हमारी खाद्य और कृषि प्रणाली से सभी जहरीली प्रौद्योगिकी को समाप्त कर सभी नागरिकों के लिये सुरक्षित बिना जहर वाला सुरक्षित और पोषक आहार सुनिश्चित करना। उपभोक्ताओं के जानकारीपूर्ण विकल्पों के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए जीएम खाद्य और कीटनाशक अवशेष खाद्य पर लेबल की व्यवस्था लाना/लागू करना।

4.2 यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सभी खाद्य सुरक्षा योजनाएं स्थानीय उत्पादन, उपार्जन, भंडारण एवं वितरण की विकेन्द्रित प्रणाली पर आधारित हों। जौ और दालों जैसी विविध और पोषक फसलें एवं तिलहन फसलें सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य योजनाओं में शामिल की जायें। जैविक वनस्पति किचन गार्डन को प्रोत्साहित किया जाये। विशेष तौर पर महिला स्वसहायता समूहों की मदद से समेकित बाल विकास योजना के अंग के रूप में।

4.3 वनों के प्रति नजरिये को पुनर्पपरिभाषित करने के लिये खाद्यान्न उत्पादन करने वाली बसाहटों के तौर पर वनों की भूमिका को मान्यता देना। यह भी सुनिश्चित करना कि बेहद गरीब के लिये भूख के नाजुक क्षणों में महत्वपूर्ण निशुल्क पोषण स्रोत के रूप में गैर कृषि खाद्यान्न को मान्यता दी जाये।

————————————————————

आलेख आशा – अलायंस फार सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर द्वारा तैयार।

आशा 400 से अधिक किसान एवं नागरिक संगठनों तथा कृषि, जैव प्रौद्योगिकी एवं पारिस्थितिकी क्षेत्र के अग्रणी वैज्ञानकों,

अर्थशास्त्रियों, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ओर उपभोक्ता कार्यकर्ताओं और अन्य का नेटवर्क है। विस्तृत जानकारी

www.kisanswaraj.in पर उपलबध है। अतिरिक्त जानकारी के लिये निम्न व्यक्तियों से संपर्क करें :

1. आशा का स्थानीय व्यक्ति जो लोगों से संपर्क कर रहा हो।
2. कविता कुरुगंति , 09393001550 और kavitha.kuruganti@gmail.com
3. पंकज भूषण 09472999999 और kisanswarajpankaj@gmail.com

————————————————————